न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 87 / 2016

खजानसिंह पुत्र शेर सिंह जाति रायसिख निवासी 2पी.एम. ॥ ए तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना। ——रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 10.02.2016

उपस्थितिः—
श्री सिकन्दर सिंह , अभिभाषक अपीलांट
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 17.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार घडसाना ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 177(1)(अ) का पेश कर निवेदन किया कि चक 2पी.एम. ॥ ए के प.नं. 215 / 36 व 215 / 60 की 2.075है0 भूमि अप्रार्थी के नाम खातेदारी है। अप्रार्थी उक्त भूमि से कृषि कार्य के अलावा अन्य अकृषि कार्य कर रहा है एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अवैध रूप से जिप्पस खोदने का कार्य कर रहा है। उक्त कार्य बिना किसी अनुमति के किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी को बेदखल कर विवादित भूमि राजकीय भूमि में समायोजित की जावे।

अप्रार्थी ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी किसी प्रकार का अवैध खनन का कार्य नहीं कर रहा है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने दावे एवं जबाबदावा के आधार पर अनुतोष सहित तीन वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात वादी का वाद स्वीकार कर विवादित भूमि का आवंटन निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

17/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी है। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार से अवैध रूप से खनन नहीं किया। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के रकबा राज घोषित कर दिया जबकि 177 आर.टी.ए. के तहत भूमि खारिज करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है, अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा था जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार अधी. न्यायालय में वाद पेश किया। अधी. न्यायालय ने वाद स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 10.02.2016 के विरूद्ध दिनांक 25.05.2016 को पेश की जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा नहीं किये जाने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के निर्णय दिनांक 10.02.2016 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट की कृषि भूमि पर जिप्पस खनन करने पर अकृषि कार्य करने पर राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 177 आराजी राज दर्ज करने का आदेश गलत क्योंकि वादी द्वारा किसी भी रूप में उसकी कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.06.2011 में अंकित किया है कि " राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार घडसाना ने वाद पेश किया जो पूर्ण कोर्टफीस पर व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया

17/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जाकर पत्रावली दिनांक 10.07.2011 को पेश हो'' जबकि तहसीलदार घडसाना द्वारा दावा पेश नहीं किया अपितु यह प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 177(1)(अ) राज.काश्त. अधि. में है तथा राज.काश्त.अधि. 1955 की तृतीय अनुसूची पार्ट–ा में उल्लेखित है जबकि प्रा.पत्र पर तृतीय अनुसूची के पार्ट–ाा में वर्णित है तथा इसी पार्ट–ाा के कम संख्या 67 पर धारा 177 के प्रा.पत्र देय proper court फीस mandatiory दर्शाया है परन्तु प्रा.पत्र किसी भी तरह से court fees के साथ पेश नहीं किया है। अतः सीपीसी के आदेश 7 निमय 11(बी) का Violation होकर प्रा.पत्र Admission stage पर खारिज योग्य है।

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 177 पेश किया है जिसकी Bare reading है कि "Ejectment for detrimental act or breach of condition- (1) A tenant shall, on the application of the landholder, be liable to ejectment from his holding :-

(a) on the ground of any act or omission dertimental to the land in that holding or inconsistent with the purpose for which it was let , or

(b) on the ground that he or any person holding from him has broken a condition on the breach of which he is, by special contract which is not contraray to the provisions of this Act, liable to be ejected." विधि के प्रावधानुसार अगर कृषि भूमि पर अकृषि कार्य प्रमाणित भी होता है तो कृषि भूमि आराजी राज करने के नहीं अपितु बेदखली के आदेश जारी किये जाने काननून है जिसके लिये सन्दर्भ कानून राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए पठित धारा 91 है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2016 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

खजानसिंह पुत्र शेर सिंह जाति रायसिख निवासी 2पी.एम. II ए तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। -- अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना। --रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या 87/2016 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम घडसाना मुर्ख्ख 10 माह 02 सन् 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 17 माह 11 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री सिकन्दरसिंह अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2016 अपास्त किया जाता है। (खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X ......) रूपये.. X . ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 17.11.2017 जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर